राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5930 / 2022

रघुबीर सिंह पुत्र श्री रामा राम मीणा, निवासी– मिनेश्वर कॉलोनी, महाराज बाग, धोलपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.11.2022
आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री यादवेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक, संस्कृत के पद पर रा.उ.मा.वि. Khidora, Baseri, Dholpur में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 01.01.1997 को अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने अपनी बी.एड. वर्ष 2004 में कर ली थी। वर्ष 2008–09 की डीपीसी जो कि 05.04.2013 को आयोजित हुई थी, उसमें अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गई, जबकि अन्य योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी को डीपीसी दिनांक 24.04.2016 के जरिये पदोन्नति अध्यापक ग्रेड–2 में प्रदान की गई, जबकि अपीलार्थी वर्ष 2013 में आयोजित रिक्ति वर्ष 2008–09 की रिक्ति में पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1386 / 2022 प्रस्तुत की थी, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 24.05.2022 को आदेश पारित किया कि अपीलार्थी सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के

दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अभ्यावेदन का निस्तारण करेगी और निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देगी। उक्त आदेश के उपरांत अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 22.06.2022 को प्रेषित किया था, जिसमें अपीलार्थी ने रिव्यू डीपीसी कर उसे रिक्ति वर्ष 2008–09 में पदोन्नति दी जाने की प्रार्थना की थी। उक्त अभ्यावेदन पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। उनका आगे यह कथन रहा है कि पुनः आगामी पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की जा रही है, जिससे अपीलार्थी के अधिकारों का हनन होगा। उनका कथन है कि अपीलार्थी की आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करने के पश्चात् ही डीपीसी की बैठक आयाजित की जावें।

3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)